राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 10.3.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 8.3.2016 (मंगलवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 11 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए। योजना प्रभारी कार्यो की सूची थर्ड पार्टी को अपने स्तर पर उपलब्ध करायेंगे तथा उनको भुगतान भी संबंधित योजना प्रभारी करेंगे। एमपी लैड में 5.00 लाख से अधिक एवं बीएडीपी में 10.00 लाख से अधिक लागत के कार्यो की सूची थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाए। एपीलैड योजना से वाई.पी. लेने हेतु पत्रावली आयोजना विभाग को भिजवायी जानी है।

(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ,ब,स,द पूर्ण कर पत्रावली संयुक्त शासन सचिव प्रशासन के पास विचाराधीन है।

(सं.शा.सचिव,प्रशा.)

- आवास योजना में 85162 लक्ष्य के विरूद्ध 102978 पंजीकरण, 78081 स्वीकृतियॉं, 84707 एकाउन्ट वरीफाई एवं 76039 एफटीओ साईन हुए है।
- अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 3000 के विरूद्ध 3387 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1846 की स्वीकृति जारी हुई है। प्रथम किश्त रिलीज की प्रगति से अवगत करावें।
- बीएसआर पर सामग्री क्रय करने का परिपत्र वित्त विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- आवास की फोटो लाभार्थी /आवास सहायक द्वारा ई–मित्र के साथ–साथ आवास सहायकों द्वारा मोबाईल एप की सहायता से फोटो अपलोड हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए।

(एसई,आईएवाई)

3. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 192 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें।
   1. चयनित ग्राम पंचायतों की अच्छी परफोरमेंन्स वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री महोदया को दि0 15.3.2016 तक अवगत कराया जाए।
   2. चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान नहीं दिये जाने वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री महोदया को अवगत कराया जाए।
   3. एमएजीपीवाई योजना में सफलता के कार्यो की बुक दि0 15.3.2016 तक छपवाई जाए।

(पीडी,एसएपी)

4. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में राज्य को 50 करोड रूपये एसएजीवाई/एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिलों को आवंटित राशि के दुगने तक स्वीकृतियॉं जारी करने के निर्देश जारी करावें। जिलेवार, ग्राम पंचायतवार एवं कार्यवार जारी स्वीकृति एवं व्यय की प्रगति से अवगत करायें।

(प्रभारी श्री योजना)

5. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी को फण्ड स्थानान्तरित हेतु दि0 3.3.2016 को बैठक रखी जाए।

(पीडी एसएपी)

6. विधान सभा के 7 आश्वासन लम्बित है। एसएपी प्रथम अनुभाग के –5, एसएपी द्वितीय अनुभाग के –1 एवं आवास के –1 लम्बित आश्वासन का निस्तारण करायें।

(योजना प्रभारी)

7. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की प्रगति समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर राशि से की जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

8. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें, जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे।

(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)

9. 15–15 आईसी कॉर्डिनेटर लगाये गये है इनका उपयोग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने हेतु एक बैठक रखी जाए।

(एसई,आईएवाइ एवं वित्तीय सलाहकार)

10. सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से एक प्रतिशत खर्चे का प्रावधान हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ बैठक रखी जाए तथा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु उदयपुर से फीडबैक प्राप्त किया जाए।

(एसई,आईएवाई)

11. विभिन्न योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।

(एसई, आईएवाई)

12. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ जिला बारां, धौलपुर एवं झालावाड के लिए विशेष सहायता के लिए इस माह में बैठक आयोजित की जाए। बैठक एजेण्डा प्रस्तुत करें।

(पीडी एमएण्डई)

13. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में डालने हेतु प्रस्ताव के कम में श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करायें। प्राप्त हुए है।

(पीडी,मोएवंमू)

14. 50.00 लाख रूपये पंचायतीराज विभाग के इण्टीग्रेटेड वैब डवलपमेन्ट के लिए दिये जाये। यह राशि आईएवाई, एमपी लैड एवं बीएडीपी प्रशासनिक मद से ली जायेगी।

(पीडी एसएपी)

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना/ पंचायतीराज
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

(51)